डा॰ बी॰ राजेन्दर, समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 03.01.2011 को अवर निबंधन कार्यालय, बगहा का किए गए निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणीः–

1.0 परिचय :-

अवर निबंधन कार्यालय, बगहा की **स्थापना वष 1917** मे हुई । यह पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा अनुमंडल अन्तर्गत अवस्थित है तथा इस कार्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित अंचल के क्षेत्र आते हैं :– **(1) बगहा–1 (2) बगहा–2 (3) रामनगर (4) मधुबनी (5) पिपरासी (6) ठकराहा एवं (7) मितहां।**

1.1 निबंधन कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण दिनांक 24.06.2006 को किया **गया।** कम्प्यूटरीकरण की तिथि से संबंधित पक्षकार के द्वारा उपस्थापित दस्तावेज निबंधन की तिथि को ही पक्षकार को वापस किया जाता है । निबंधन के उपरान्त दाखिल खारिज की सुगमता हेतु मूल निबंधित दस्तावेज की स्कैन प्रति संबंधित अंचलाधिकारी को माह की समाप्ति के पश्चात प्रेषित कर दी जाती है। वर्तमान में माह नवम्बर तक के दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति संबंधित अंचलों में प्रेषित की जा चुकी है। माह दिसम्बर, 2010 तक की स्कैण्ड प्रति दो दिनों के अंदर संबंधित अंचल को प्रेषित कर दी जाय।

1.2 कम्प्यूटरीकरण के कारण कार्य सुगम हो गया है एवं **अधिकतम 30 मिनट** मे ही निबंधन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है ।

1.3 अवर निबधन कार्यालय में **विशेष विवाह अधिनियम 1954** के अधीन विवाहित दंपति के विवाह का निबंधन एवं सरकार द्वारा निर्धारित 21 **वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 18 वर्ष से अधिक आयु की युवती** से प्राप्त विवाह हेतु आवेदन पर अधिनियम के अधीन निर्धारित समय में विवाह भी संपन्न किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन संधारित पंजी के **अनुसार एक वर्ष में प्रायः 10 दंपत्तियों के विवाह का निबंधन संपन्न होता है।**

1.4 **बिहार विवाह नियमावली 2006** के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त द्वारा संपन्न किए जाने वाले विवाह से संबंधित आवेदन की प्रति यहाँ प्राप्त कर संधारित की जाती है और इस कार्यालय में संधारित विहित प्रपत्र की पंजी में इसकी प्रविष्टि वर्षवार की जाती है ।

2.0 पूर्व में निरीक्षण :–

पूर्व निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निरीक्षण में पाए जाने वाले त्रुटियों का निराकरण पंजी एवं संचिका में संधारित है। निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय का समय–समय पर निरीक्षण किया गया है :–

क्र0	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	अनुपालन की स्थिति
1	2	3	4
1	**29/07/2010**	श्रीमती मुक्ता वर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल	कार्यालय के पत्रांक–202 दिनांक–25.11.2010 द्वारा अनुपालित
2	**08/09/2009**	श्री शेखर नीलम कुमार, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल	कार्यालय के पत्रांक–42 दिनांक–26.02.2010 द्वारा अनुपालित
3	**16/09/2008**	श्री विनोद प्रसाद शर्मा, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल	कार्यालय के पत्रांक–10 दिनांक–24.01.2009 द्वारा अनुपालित

2.1 **निदेश दिया जाता है कि पूर्व निरीक्षण में दिए गए निदेशों के अनुपालन की क्या स्थिति है इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।**

3.0 स्थापना :–

अवर निबंधन कार्यालय, बगहा में **मणीन्द्र** नाथ झा **दिनांक–04.09.2008 से अवर निबंधक के रूप में कार्यरत है।** इस कार्यालय में कर्मचारियों के पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	उच्चवर्गीय लिपिक	4	1	3
2	निम्नवर्गीय लिपिक	6	4	2
3	अनुसेवक	1	1	0
4	रात्रि प्रहरी	1	1	0

4.0 आगत एवं निर्गत पत्रों की पंजी :–

इस कार्यालय में आगत एवं निर्गत पत्रों की दो पंजी अलग–अलग संधरित है। विगत तीन वर्षो में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2010	204	226
2	2009	114	230
3	2008	239	554

निदेश दिया जाता है कि आगत एवं निर्गत पत्र किस संचिका में रखा गया कि, संचिका संख्या पंजी में निश्चित रूप से दर्ज करें।

5.0 राजस्व प्राप्ति :–

अवर निबंधन कार्यालय, बगहा के विगत तीन वर्षों में राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	दस्तावेजों की संख्या	निबंधन शुल्क	मुद्रांक शुल्क	कुल
1	2	3	4	5	6
1	2010–11	5650	10804449	29329622	4013407'
2	2009–10	8012	14302737	38901472	53204209
3	2008 09	7686	10394563	27624365	38018928

5.1 जिला निबंधन कार्यालय द्वारा इस कार्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध विगत तीन वित्तीय वर्षों में राजस्व प्राप्ति विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (करोड़ में)	राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति
1	2	3	4	5
1	2009-10	5.45	5.32	97.54
2	2008-09	4.68	3.80	81.19
3	2007-08	4.44	2.70	59.88

राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेहनत करने की आवश्यकता है। अवर निबंधन पदाधिकारी इस पर ध्यान दें।

6.0 विभिन्न प्रकार की पंजी :–

कार्यालय में निम्नलिखित पंजियाँ अद्यतन रूप से संधारित की जाती है :–

(1) रोकड पंजी

(2) शुल्क पंजी

(3) खोज पंजी

(4) काश्तकारी पंजी

उपरोक्त सभी पंजियों को अद्यतन रखने का निदेश दिया जाता है।

6.1 अन्य महत्वपूर्ण पंजी :–

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण पंजी भी संधारित की जाती है ।

(1) विवाह सूचना पंजी

(2) विवाह प्रमाण पत्रा पंजी (विवाहित)

(3) विवाह प्रमाण पत्र पंजी (संपन्न/अविवाहित)

(4) निबंधन पंजी (पुस्तक–I, III एवं IV के अलग–अलग)

(5) विनष्टीकरण पंजी

7.0 विनष्टीकरण की अद्यतन स्थिति :–

वर्ष 2007 तक के निबंधित दस्तावेजों के बेदावी दस्तावेजों की सूची निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित की जा चुकी है। विनष्टीकरण हेतु लंबित दस्तावेजो की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष		लंबित दस्तावेज
1992	–	268
1993	–	288
1994		441
1995	–	574
1996	–	594
1997	–	744
1998	–	736
1999	–	840
2000	–	150
2001	–	76
2002	–	82
2003	–	75
2004		96

उक्त दस्तावेजों का विनष्टीकरण निबंधन महानिरीक्षक के आदेश की प्रतीक्षा में लंबित है। इस संबंध में निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

8.0 अभिलेख :–

वर्ष 2009 तक के निबंधित दस्तावेजों से संबंधित अभिलेख जिला अवर निबंधक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को प्रेषित किया जा चुका है एवं 2010 में निबंधित दस्तावेजों का प्रेषण माह–जनवरी 2011 में किया जाना है। निश्चित रूप से माह, जनवरी, 2011 तक प्रेषित कर दिया जाय।

9.0 स्कोर :–

अवर निबंधक द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् निबंधित दस्तावेजों की सी.डी. तैयार कर एक प्रति विभाग को तथा एक प्रति जिला अवर निबंधक को प्रेषित की जाती है एवं हार्ड कॉपी की जिल्द बंदी कराकर संधारण हेतु जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार को प्रेषित किया जाता है। समय सीमा के अंदर इसे प्रेषित करें।

9.1 विद्युत आपूर्ति के लिए स्थापित जेनरेटर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ध्वनि रहित जेनरेटर की आवश्यकता को महसूस करते हुए स्कोर की अगामी बैठक में संबंधित प्रस्ताव रखने का निर्देश अवर निबंधक बगहा को दिया जाता है ।

9.2 अवर निबंधक द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर के इजलास के समीप होने के कारण निबंधनार्थी जनता की भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे कार्य करने में कठिनाई होती है। बरामदे के दो तरफ दिवाल जोड़कर एक कम्प्यूटर कक्ष बनाने की आवश्यकता है। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया।

10.0 47A - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47A के अधीन प्रेषित दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	वर्ष	प्रेषित दस्तावेजों की संख्या	निष्पादित दस्तावेजों की संख्या	लंबित दस्तावेजों की संख्या
1	2	3	4	5
1	1992	1	1	
2	1993	18	11	
3	1994	0	[illegible]	
4	1995	2	0	1
5	1996	13	4	
6	1997	9	7	
7	1998	31	2	20
8	1999	2	5	1
9	2000	0	2	
10	2001	0	2	0
11	2002	0	5	0
12	2003	2	2	2
13	2004	0	2	
14	2005	0	1	
15	2006	2	1	
16	2007	0	3	
17	2008	2	2	
18	2009	0	3	

संबंधित पक्षकारों को कमी प्रभार्य शुल्क जमा करने हेतु नोटिस किया जा रहा है एवं जमा नहीं किए जाने की स्थिति में नीलामवाद की कार्रवाई की जाएगी।

11.0 विशेष टिप्पणी :–

निबंधन कार्यालय, बगहा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अवर निबंधक पदाधिकारी, बगहा द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर इजलास के समीप ही रखा गया है, क्योंकि जगह का अभाव है तथा निबंधनार्थी जनता की भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण कम्प्यूटर कार्य करने में कठिनाई होती है। अगर बरामदे को दो तरफ से दिवाल जोड़कर एक कम्प्यूटर कक्ष बना दी जाती तो कम्प्यूटर कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया को इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारंभ कराने हेतु निदेशित दिया जाय।

Rajendra 8.1.2011
(बी राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 75 / गो०, दिनांक 10/01/2011

प्रतिलिपि – अवर निबंधक पदाधिकारी, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, बेतिया / अवर निबंधन पदाधिकारी, शिकारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया / अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया / कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, प्रमंडल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 8.1.2011
(बी राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 75 / गो०, दिनांक 10/01/2011

प्रतिलिपि – आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – निबंधक महानिरीक्षक, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 8.1.2011
(बी राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

O/C